

बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित, पटना।

(बिस्कोमान)

आदेश

निदेशक पर्षद की बैठक दिनांक 20.08.2005 के प्रस्ताव सं0-05 के आलोक में ज्ञापांक-स्था0/एम/506 दिनांक 28.09.2005 द्वारा तत्काल प्रभाव से बिस्कोमान में ग्रुप बीमा योजना को बन्द किया गया था।

निदेशक पर्षद की बैठक दिनांक 16.08.2013 के प्रस्ताव सं0-10 में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक बीमा योजना पर देय तत्कालीन एवं वर्तमान ब्याज दर के अनुरूप बिस्कोमान में भी सामूहिक बीमा जमा राशि पर ब्याज भुगतान होगा।

इस संबंध में कर्मचारियों द्वारा निर्णय पर पुर्नविचार करने हेतु आवेदन दिया गया जिस पर निदेशक पर्षद की बैठक दिनांक 21.10.2013 के प्रस्ताव सं0-07 द्वारा पूर्व के निर्णय को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 16.08.2013 के प्रभाव से सामूहिक बीमा जमा राशि पर ब्याज का भुगतान राज्य सरकार के अनुरूप होगा।

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक:- ~~स्था 0-15-रस-2386~~

दिनांक:- 04-11-2013

प्रतिलिपि:-

1. सभी विभागीय प्रमुख, बिस्कोमान, पटना।
2. सभी पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना।
3. मुख्य लेखा पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना।
4. लेखा पदाधिकारी, बिस्कोमान, पटना।
5. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भविष्य निधि बिस्कोमान, पटना।
6. प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्री अनिल कुमार ठाकुर, एन0/डाटा ऑपरेटर, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
उपर्युक्त आदेश को Website पर Upload करना सुनिश्चित करेंगे।
8. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक के निजि सचिव, बिस्कोमान, पटना।
को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक